भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2152
गुरूवार, 04 अगस्त, 2022/13 श्रावण, 1944 (शक)

गोवा में बेरोज़गारी

2152. श्री लूइझिनो जोएक्विम फलेरोः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गोवा में बेरोज़गारी की विशेष समस्या से निपटने के लिए केंद्र/राज्य सरकारों द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं क्योंकि यहां बेरोज़गारी दर राष्ट्रीय औसत से दोगुनी है और लगातार बढ़ रही है;

(ख) राष्ट्रीय औसत की तुलना में गोवा में बेरोज़गारी की मौजूदा दर आयु समूह-वार कितनी है;

(ग) क्या केंद्र/राज्य सरकार के पास गोवा में बेरोज़गारी दूर करने के लिए कोई विजन दस्तावेज या चरणबद्ध योजना है; और

(घ) गोवा में बेरोज़गारी से निपटने के लिए कौशल और उद्यमिता विकास हेतु क्या योजना है और यदि ये पहले से ही लागू है और प्रभावकारी है, तो ऐसी योजनाओं के सांख्यिकी आंकड़े क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): रोजगार और बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित किए जाने वाले आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से एकत्र किए जाते हैं। वर्ष 2020-21 की उपलब्ध नवीनतम पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, गोवा में सामान्य स्थिति के आधार पर आयु समूह-वार, अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) निम्नानुसार हैः

आयु समूह	गोवा	अखिल भारतीय
15-29 वर्ष	25.8	12.9
15-59 वर्ष	11.1	4.6
15 वर्ष से ऊपर	10.5	4.2
समस्त आयु	10.5	4.2

इसके साथ-साथ, भारत सरकार ने देश में गोवा राज्य सहित रोजगार का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, सरकार सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। इस पैकेज में, देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

स्व-रोजगार को सरल बनाने के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) कार्यान्वित की जा रही है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा इसमें और विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का जमानत मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत दिनांक 01.07.2022 तक, गोवा में, 2,79,275 ऋण संस्वीकृत किए गए।

बजट 2021-22 में 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से वर्ष 2021-22 से शुरू होकर 5 वर्ष की अवधि के लिए उत्पादन-संबंद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं शुरू की गई हैं। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही पीएलआई योजनाओं में 60 लाख नए रोजगार सृजित होने की संभावना है। इन सभी प्रयासों से गुणक-प्रभावों के माध्यम से, सामूहिक रूप से रोजगार का सृजन करने तथा मध्यम से लंबी अवधि में उत्पादन को बढ़ावा मिलने की आशा है।

पीएम गतिशक्ति, आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी एपरोच है। यह एपरोच सात घटकों नामतः सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्ग और रसद बुनियादी ढांचे द्वारा संचालित हैं। यह एपरोच, स्वच्छ ऊर्जा और सबके प्रयास द्वारा संचालित है जिससे सभी के लिए रोजगार और उद्यमशीलता के अत्यधिक अवसर पैदा होंगें।

सरकार दिनांक 01 जून, 2020 से प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वानिधि योजना) का कार्यान्वयन कर रही है ताकि कोविड -19 महामारी के दौरान प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए स्ट्रीट वेंडरों को उनके व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए जमानत मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा मिल सके। दिनांक 20 जुलाई, 2022 तक, गोवा में, इस योजना के तहत ₹1,74 करोड़ की राशि के 1,232 ऋण वितरित किए जा चुके हैं।

भारत सरकार, पर्याप्त निवेश और सार्वजनिक व्यय वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है और जिसमें रोजगार सृजन हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), और दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) आदि जैसी योजनाएं शामिल हैं। वर्ष 2020-21 से दिनांक 30.06.2022 तक गोवा में पीएमईजीपी के तहत सृजित रोजगार की अनुमानित संख्या 1296 है, वर्ष 2020-21 से दिनांक 13.07.2022 तक गोवा में मनरेगा (एमजीएनआरईजीएस), के तहत सृजित किए गए रोजगार 2.2 लाख हैं और वर्ष 2020-21 से दिनांक 30.06.2022 तक गोवा में डीएवाई-एनयूएलएम के तहत कौशल प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या 1317 है।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय देश भर में युवाओं के कौशल आधारित प्रशिक्षण के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) का कार्यान्वयन कर रहा है। दिनांक 30.06.2022 तक, गोवा राज्य में, 4,087 उम्मीदवारों को अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) के तहत प्रशिक्षित किया गया है और पूर्व सीखने को मान्यता (आरपीएल) के तहत 5,874 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है।

इन प्रयासों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन, सब के लिए आवास जैसे सरकार के विभिन्न फ्लैगशीप कार्यक्रम भी रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए है।

गोवा सरकार ने राज्य में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए कई कदम उठाए हैं। क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय पणजी के तहत आदर्श करियर केंद्र (एमसीसी), बाजार आवश्यकताओं के अनुरूप, युवाओं को अपने कौशल को बढ़ाने तथा और इसमें अधिक वृद्धि करने में सहायता करने के लिए, विभिन्न आउटरीच गतिविधिया जैसे करियर मार्गदर्शन / परामर्श पर कार्यक्रम, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग पर सेमिनार, सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षाओं पर सत्र (यूपीएससी और जीपीएससी), नौकरी मेले और प्लेसमेंट ड्राइव आदि का ऑनलाइन को साथ-साथ ऑफलाइन भी आयोजन कर रहा है ताकि उन्हें रोजगार पाने योग्य बनाया जा सके।

प्रशिक्षुओं के उद्यमिता विकास के लिए कौशल विकास और उद्यमिता निदेशालय, गोवा सरकार ने निम्नलिखित संघों के साथ साझेदारी की है:

1. फोरम फॉर इनोवेशन इनक्यूबेशन रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप (एफआईआईआरई)
2. गोवा प्रबंधन संस्थान (जीआईएम)
3. राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (एनआईईएसबीयूडी)
4. गोवा आजीविका फोरम (जीएलएफ)
5. बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल (बीएनआई)
6. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)।

उपरोक्त के अलावा, गोवा सरकार ने, कौशल विकास केंद्र की स्थापना, प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने, इंटर्नशिप, प्रशिक्षुओं की शिक्षुता और उद्योग जगत से प्लेसमेंट सहायता के लिए, पिछले 2 वर्षों के दौरान उद्योग जगत के 47 भागीदारों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

*****